

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 672/16

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन
भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

नाम— संतोष पुत्र रामकिशन बरेठा उम्र 28 साल निवासी संतोष नगर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने घटना दिनांक 04/04/16 के 18:20 बजे स्थान बस स्टैण्ड गोहद में हाथ ठेला लगाया जिससे
आवागमन में अवरुद्ध पैदा हुआ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के
संज्ञान में है। स्पष्ट करें अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक—

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 23/02/17 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34 पुलिस अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 34 पुलिस अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 50/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. आरोपी स्वतंत्र हों।
5. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 23/02/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद